

भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक: / बीडा / आयोजना / 2058/20

दिनांक: 17/9/20

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 प्योर आवास बिल्डर्स एल.एल.पी.
पी-65 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2
नई दिल्ली

विषय:- मै0 प्योर आवास बिल्डर्स एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय पी-65 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 नई दिल्ली द्वारा ग्राम धीरियावास तह0 तिजारा के खसरा नं0 744, 745, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, कुल किता 14 क्षेत्रफल 25311.73 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) परियोजनार्थ के संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

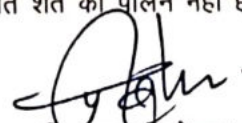
सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 02.08.2019 के अनुसार ग्राम धीरियावास तह0 तिजारा के खसरा नं0 744, 745, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, कुल किता 14 क्षेत्रफल 25311.73 वर्ग मी0 भूमि पर संशोधित भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की 07वी बैठक दिनांक 25.06.2020 के एजेण्डा नं0 02 पर में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भवन मानचित्रों को अनुमोदन कर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. पूर्व स्वीकृति दिनांक 06.07.2017 में स्वीकृत ब्लॉक बी पार्ट 4, सी पार्ट 3, ब्लॉक डी पार्ट 3 की स्वीकृति पूर्व मानचित्रों एवं स्वीकृति अनुसार ही मान्य होगी।
03. यह स्वीकृति ब्लॉक जी,एच, आई एवं ब्लॉक डी पार्ट 4 हेतु मान्य है। पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें यथावत मान्य होगी।
04. आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्रों को रेरा में अपडेट कराना होगा।
05. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
06. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
07. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर लेकिन स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, बीडा को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी बीडा में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
08. उक्त स्वीकृति के कारण यदि बीडा को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा बीडा भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
09. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से बीडा को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
11. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में बीडा को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
13. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

14. जल संसाधन विभाग के द्वारा समय समय पर जारी पत्रों में उल्लेखित सभी शर्तों की पालना व इससे संबंधित पत्रों/शर्तों की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
15. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
16. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
17. पार्किंग का प्रावधान एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैक एवं स्टिल्ट क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
18. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि बीडा द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि बीडा कोष में जमा करानी होगी।
19. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
20. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
21. भवन मानचित्र स्वीकृति के अनुसार स्टोल्ट प्लोर (रूफ लेवल) की ऊंचाई बांध के एफ.टी.एल लेवल से ऊंची रखी जावेगी।
22. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
23. बीडा की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
24. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
25. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
26. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
27. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा बीडा में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
28. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
29. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
30. आवेदक द्वारा कुल 27 EWS ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन ईकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
31. प्रकरण के संबंध में विभिन्न विभागीय स्तरों से प्राप्त सभी राय/स्वीकृति में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं की पालना यथावत विकासकर्ता द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। प्रकरण में संबंधित समस्त प्रकार की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

संलग्न:- भवन मानचित्र ()

क्रमांक: आयोजना/

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

S.No.	REQUIRED AREA STATEMENT :-	SQM
1	PLOT AREA AS PER REVENUE	39000.00
A	PLOT AREA AS PER SUPERIMPOSITION	35553.50
B	LAND SURRENDER IN 18.0M WIDE ROAD	614.83
C	LAND SURRENDER IN 9.0M WIDE ROAD	404.14
D	LAND SURRENDER IN 45.0M WIDE ROAD	6427.98
E	LAND RESERVED FOR DAM AS PER IRRIGATION DEPT.	2624.53
F	AREA PART OF EARTHEN DAM	170.29
2	TOTAL SURRENDERED AREA	10241.77
3	NET PLOT AREA	25311.73
4	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE@35%	8859.11
5	PERMISSIBLE F.A.R @ 1.33	33664.60
6	SURRENDERED LAND F.A.R @ 1 (USED AGAINST 5% FACILITY SURRENDER AREA)	NIL
7	EWS/LIG FAR @ 0.5	12655.87
8	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R	46320.47
9	REQUIRED GREEN @10%	2531.17
10	ACHIEVED/PROPOSED AREA	SQM
11	ACHIEVED GROUND COVERAGE	3291.3
12	F.A.R. & B.A.R. CALCULATION	F.A.R. B.A.R.
a	BLOCK-B, (PART-4)	3416.4 4461.0
b	BLOCK-C, (PART-3)	1749.5 2285.6
c	BLOCK-D, (PART-3)	872.7 1094.9
d	BLOCK-G,	3688.2
e	BLOCK-H,	2590.5
f	BLOCK-I,	737.6
13	TOTAL RESIDENTIAL F.A.R (a+b+c) & B.A.R (d+e+f)	6038.7 7016.3
14	PROPOSED OPEN GREEN AREA	2540.1 10.04%
15	FACILITY AREA	NA
16	REQUIRED EWS/LIG AREA @ 7.5% OF TOTAL F.A.R.	452.9
17	REQUIRED EWS/LIG FOR NEW BLOCK @ 5% OF TOTAL B.A.R.	350.8
18	TOTAL REQUIRED EWS/LIG AREA = 16-17	803.7
19	PROPOSED EWS BUILT UP AREA	
20	BLOCK-D, (PART - 4) EWS BLOCK-1	710.92
21	BLOCK-I, 4TH FLOOR	245.87
	TOTAL	956.78

एकीकृत भवन विनियम 2017 के तहत निर्मित के अनुसार
स्वीकृत योजना का प्रस्तावित भवन में निम्न प्रावधान
रखा जाये अन्यथा योजना को अमान्य माना जाये भवन निर्माण
के विवाद निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी

एकीकृत भवन विनियम 2017 के
तहत निर्मित के अनुसार स्वीकृत योजना
में निम्न प्रावधान रखा जाये अन्यथा योजना को अमान्य माना जाये
भवन निर्माण के विवाद निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी

Built up area							
Name Of Block	Type	Units/ Floor	Built up area per Floor (sqm)	No. of Floors (Including Stilt)	Built up area (sqm)	NOS. Of Blocks	Total Built up area (sqm)
BLOCK-B, (PART-4)	2BHK, S+7	9	637.28	8	5098.24	1	5098.24
BLOCK-C, (PART - 3)	1BHK, S+4	12	571.40	5	2857.00	1	2857.00
BLOCK-D, (PART - 3)	1BHK, S+4	6	273.72	5	1368.60	1	1368.60
BLOCK-G,	3BHK, S+4	14	922.06	5	4610.28	1	4610.28
BLOCK-H,	2BHK, S+4	14	647.62	5	3238.12	1	3238.12
BLOCK-I, UP TO 3RD FLOOR	1BHK, S+4	6	245.87	4	983.47	1	983.47
BLOCK-D, (PART 4) EWS BLOCK-1	S+3	7	236.97	4	947.89	1	947.89
BLOCK-I, 4TH FLOOR EWS	1BHK, S+4	6	245.87	1	245.87	1	245.87
Total						8	19349.45

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Rain Water Harvesting Unit

Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
निर्मानुसार प्रावधान किया जाये।

Parking Area Will be Bida Property

भवन संस्कार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2017
की प्राप्ति पर सख्त संस्कार के परिणाम दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'अनुमोदित भवन
पत्र' अनापूर्ति प्रमाण पत्र आदेश द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य है।

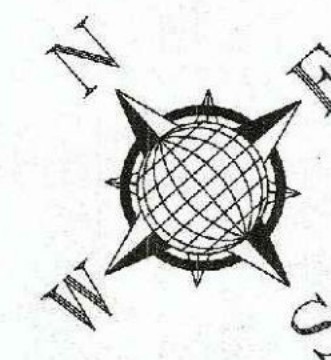
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भूमि प्रशासन भूमि/भूखण्ड के प्रति
स्थापित का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
पर किसी अधिकारी की प्रभावित होगी।

विद्युत संचयन में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/मवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE



PHASE-I
RERA REGISTERED
(RAJ/P2017/207)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Tapukara Submission			
S.No.	MARK	AREA (SQM.)	NOS. OF BLOCK (SQM.)
1	Parking		
	Open Parking	82 CAR	
	Stilt Parking	58 CAR	164 BIKE
	Total Parking	140 CAR	164 BIKE
2	Green Area		
	Green Area-1	LS	381.23
	Green Area-2	LS	275.60
	Green Area-3	LS	225.19
	Green Area-4	LS	196.83
	Green Area-5	LS	299.95
	Green Area-6	LS	1161.31
	Total Green Area		2540.11
			10.04%
3	Ground Coverage		
a	BLOCK-B, (PART-4)	579.73	1 579.73
b	BLOCK-C, (PART-3)	519.77	1 519.77
c	BLOCK-D, (PART-3)	250.41	1 250.41
d	BLOCK-D, (PART-4) EWS BLOCK-1	209.87	1 209.87
e	BLOCK-G,	884.33	1 884.33
f	BLOCK-H,	613.30	1 613.30
g	BLOCK-I,	233.84	1 233.84
	Total		3291.26
	Ground Coverage @ %		13.00%
4	FAR		
a	BLOCK-B, (PART-4)	3416.38	1 3416.38
b	BLOCK-C, (PART-3)	1749.59	1 1749.59
c	BLOCK-D, (PART-3)	872.69	1 872.69
d	BLOCK-G,	NA	1 NA
e	BLOCK-H,	NA	1 NA
f	BLOCK-I,	NA	1 NA
	Total		6038.65
5	UNITS		
1	3BHK UNITS	56	
2	2BHK UNITS	119	
3	1BHK UNITS	90	
	TOTAL	265	
4	EWS	21	
5	BLOCK-I, 4TH FLOOR EWS	6	
6	TOTAL NO. OF UNITS WITH EWS	292	

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 25/6/2020
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 2055/2020 Dt. 17/9/2020

PHASE-I
RERA REGISTERED
(RAJ/P2017/207)

PHASE-II

PHASE-III
BLOCK-H(S+4)

PHASE-III, AREA DETAIL

TAPUKRA AREA DETAIL (PHASE-III)	
TOTAL PLOT AREA	35553.5 SQM.
SURRENDERS AREA	10241.77 SQM.
NET PLOT AREA	25311.75 SQM.
TENTATIVE PLOT AREA USED IN PHASE-II + SERVICE	1200.00 SQM.

BAR CALCULATION				
Name of Block	Type	Unit/ Floor	built up area per floor (SQM)	Total BAR area (sqm)
BLOCK-H	2BHK, S+4	14	647.62	2590.49
			TOTAL	2590.49
UNIT DETAIL				
2BHK, UNITS		56		

सहायक नगर नियोजक
मि. डी. वि. पा.

वरिष्ठ नगर नियोजक
मि. वी. डी. वि. पा.

GENERAL NOTES

NO	DESCRIPTION
1	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2	ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING BE BROUGHT TO THE IMMEDIATE NOTICE OF THE ARCHITECTS.
3	THIS DRAWING IS A COPYRIGHT AND MUST NOT BE USED/ DISCLOSED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF ARCHITECTS.

PREP BY	CHECKED BY	APPROVED BY
---------	------------	-------------

ARCHITECTURE CONSULTANTS

Sandeep Yadav
526, 5th Floor Tower-A, Park Centra
BPTP Building, Sec-30, Gurgaon-122002
E-mail: sandeep@shubhashray.com
Ph: 8802030032

SANDEEP YADAV
Architect
CA/2010/47213

CLIENT SIGN:

PURE AWAS BUILDERS LLP

Authorized Signatory

PROJECT TITLE

KHASRA NO. 744 TO 746, 750 TO 760
VILLAGE DHIRYAWAS
TEHSIL- TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

CLIENT

PURE AWAS BUILDERS LLP
P-65, 3RD FLOOR,
SOUTH EXTENTION,
PART - II, NEW DELHI - 110049

DRAWING

TITLE

SITE PLAN

SYNOPSIS	DESIGN SUBMISSION	TENDER DRAWING	FOR CONSTRUCTION	AS BUILT
----------	-------------------	----------------	------------------	----------

DRAWING NO.	SCALE	DATE
-------------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

REV	SHEET	SCALE	DATE
-----	-------	-------	------

अनुमोदित

S.No.	REQUIRED AREA STATEMENT :-	SQM	
1	PLOT AREA AS PER REVENUE	39000.00	
A	PLOT AREA AS PER SUPERIMPOSITION	35553.50	
B	LAND SURRENDER IN 18.0M WIDE ROAD	614.83	
C	LAND SURRENDER IN 9.0M WIDE ROAD	404.14	
D	LAND SURRENDER IN 45.0M WIDE ROAD	6427.98	
E	LAND RESERVED FOR DAM AS PER IRRIGATION DEPT.	2624.53	
F	AREA PART OF EARTHEN DAM	170.29	
2	TOTAL SURRENDERED AREA	10241.77	
3	NET PLOT AREA	25311.73	
4	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE@35%	8859.11	35.00%
5	PERMISSIBLE F.A.R @ 1.33	33664.60	
6	SURRENDERED LAND F.A.R @ 1 (USED AGAINST 5% FACILITY SURRENDER AREA)	NIL	
7	EWS/LIG FAR @ 0.5	12655.87	
8	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R	46320.47	
9	REQUIRED GREEN @10%	2531.17	10%
	ACHIEVED/PROPOSED AREA	SQM	
10	ACHIEVED GROUND COVERAGE	3291.3	
11	F.A.R. & B.A.R. CALCULATION	F.A.R.	B.A.R.
a	BLOCK-B, (PART-4)	3416.4	4461.0
b	BLOCK-C, (PART-3)	1749.6	2285.6
c	BLOCK-D, (PART-3)	872.7	1094.9
d	BLOCK-G,	-	3688.2
e	BLOCK-H,	-	2590.5
f	BLOCK-I,	-	737.6
12	TOTAL RESIDENTIAL F.A.R (a+b+c) & B.A.R (d+e+f)	6038.7	7016.3
14	PROPOSED OPEN GREEN AREA	2540.1	10.04%
15	FACILITY AREA	NA	
16	REQUIRED EWS/LIG AREA @ 7.5% OF TOTAL F.A.R.	452.9	
17	REQUIRED EWS/LIG FOR NEW BLOCK @ 5% OF TOTAL B.A.R.	350.8	
18	TOTAL REQUIRED EWS/LIG AREA = 16+17	803.7	
19	PROPOSED EWS BUILT UP AREA		
20	BLOCK-D, (PART-4) EWS BLOCK-1	710.92	
21	BLOCK-I, 4TH FLOOR	245.87	
	TOTAL	956.78	

एकीकृत भवन विनियम 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षित संकेत का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रहा जैसे अन्यथा बीडर द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

एकीकृत भवन विनियम 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षित संकेत का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रहा जैसे अन्यथा बीडर द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

Built up area								
Name Of Block	Type	Units/ Floor	Built up area per Floor (sqm)	No. of Floors (Including Stilt)	Built up area (sqm)	NOS. Of Blocks	Total Built up area (sqm)	BAR (Built-up area - (Stilt floor area + Fire stair case area)
BLOCK-B, (PART-4)	2BHK, 5+7	9	637.28	8	5098.24	1	5098.24	4460.96
BLOCK-C, (PART-3)	1BHK, 5+4	12	571.40	5	2857.00	1	2857.00	2285.60
BLOCK-D, (PART-3)	1BHK, 5+4	6	273.72	5	1368.60	1	1368.60	1094.88
BLOCK-G,	3BHK, 5+4	14	922.06	5	4610.28	1	4610.28	3688.22
BLOCK-H,	2BHK, 5+4	14	647.62	5	3238.12	1	3238.12	2590.49
BLOCK-I, UP TO 3RD FLOOR	1BHK, 5+4	6	245.87	4	983.47	1	983.47	737.60
BLOCK-D, (PART-4) EWS BLOCK-1	S+3	7	236.97	4	947.89	1	947.89	0.00
BLOCK-I, 4TH FLOOR EWS	1BHK, 5+4	6	245.87	1	245.87	1	245.87	0.00
Total						8	19349.45	14857.75

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules, सोर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Parking Area Will be Bida Property

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2011 की पालना में राज्य सरकार के परिचय दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्र" पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानकित का अनुमोदन किसी भी भाषा प्रशासक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व पर किसी अधिकारी की प्रभावित होगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO YEAR FROM DATE OF ISSUE



GENERAL NOTES

NO	DESCRIPTION
1	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2	ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING BE BROUGHT TO THE IMMEDIATE NOTICE OF THE ARCHITECTS.
3	THIS DRAWING IS A COPYRIGHT AND MUST NOT BE USED/ DISCLOSED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF ARCHITECTS.

PREP BY: Sandeep Yadav

CHECKED BY: Sandeep Yadav

APPROVED BY: Sandeep Yadav

ARCHITECTURE CONSULTANTS:

Sandeep Yadav
526, 5th Floor Tower-A, Park Centra
BPTP Building, Sec-30, Gurgaon-122002
E-mail: sandeep@shubhashray.com
Ph: 8802030032

SANDEEP YADAV
Architect
CA/2010/47213

CLIENT SIGN:-

PURE AWAS BUILDERS LLP

Authorized Signatory

PROJECT TITLE

KHASRA NO. 744 TO 746, 750 TO 760
VILLAGE DHIRYAWAS
TEHSIL- TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

CLIENT

PURE AWAS BUILDERS LLP
P-65, 3RD FLOOR,
SOUTH EXTENTION,
PART - II , NEW DELHI - 110049

DRAWING TITLE

SITE PLAN

CONCEPT DESIGN SUBMISSION

TENDER DRAWING

FOR CONSTRUCTION

AS BUILT

DRAWING NO. S-101

REV RD SHEET A1 SCALE 1:500 DATE 24-Jul-19

This document should not be utilized for purposes other than those for which it was originally prepared and for which Shubhashray Housing India was commissioned. Shubhashray Housing India accepts no responsibility for this document to any party other than the one by whom it was commissioned.

Tapukara Submission				
S.No.	MARK	AREA (SQM.)	NOS. OF BLOCK	AREA (SQM.)
1	Parking			
	Open Parking	82 CAR		
	Stilt Parking	58 CAR	164 BIKE	
	Total Parking	140 CAR	164 BIKE	
2	Green Area			
	Green Area-1	LS		381.23
	Green Area-2	LS		275.60
	Green Area-3	LS		225.19
	Green Area-4	LS		196.83
	Green Area-5	LS		299.95
	Green Area-6	LS		1161.31
	Total Green Area			2540.11
				10.04%
3	Ground Coverage			
a	BLOCK-B, (PART-4)	579.73	1	579.73
b	BLOCK-C, (PART-3)	519.77	1	519.77
c	BLOCK-D, (PART-3)	250.41	1	250.41
d	BLOCK-D, (PART-4) EWS BLOCK-1	209.87	1	209.87
e	BLOCK-G,	884.33	1	884.33
f	BLOCK-H,	613.30	1	613.30
g	BLOCK-I,	233.84	1	233.84
	Total			3291.26
	Ground Coverage @ %			13.00%
4	FAR			
a	BLOCK-B, (PART-4)	3416.38	1	3416.38
b	BLOCK-C, (PART-3)	1749.59	1	1749.59
c	BLOCK-D, (PART-3)	872.69	1	872.69
d	BLOCK-G,	NA	1	NA
e	BLOCK-H,	NA	1	NA
f	BLOCK-I,	NA	1	NA
	Total			6038.65
5	UNITS			
1	3BHK UNITS	56		
2	2BHK UNITS	119		
3	1BHK UNITS	90		
	TOTAL	265		
4	EWS	21		
5	BLOCK-I, 4TH FLOOR EWS	6		
6	TOTAL NO. OF UNITS WITH EWS	292		

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 25/6/2020
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 2654/20 Dt. 17/9/2020

उप नगर नियोजक
बीडा, मिवाडी
सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.पा.

उप नगर नियोजक
बीडा, मिवाडी
सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.पा.

सहायक नगर नियोजक
मिवाडी ह्यूटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)

एकीकृत भवन विनिर्माण 2017 के दिशा निर्देश के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्ताविक भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा बीछा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी

एकीकृत भवन विनिमय 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्ताविक भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा बीडा द्वारा भवन निर्वाह के निरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिवर्तन दिनांक 04.02.2011 को अनुसार 20000 घं मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानविद् का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशसनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वागित्य का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वागित्य सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होवे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
समिष्टित किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित माल-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

[illegible]

NO	DESCRIPTION
1	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2	ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING BE BROUGHT TO THE IMMEDIATE NOTICE OF THE ARCHITECTS.
3	THIS DRAWING IS A COPYRIGHT AND MUST NOT BE USED/ DISCLOSED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF ARCHITECTS.

ARCHITECTURE CONSULTANTS

Sandeep Yadav
526, 5th Floor Tower-A, Park Centra
BPTP Building, Sec-30, Gurgaon-122002
E-mail: sandeep@shubhashray.com
Ph: 8802030032

SANDEEP YADAV
Architect
CA/2010/47213

CLIENT SIGN:-

For PURE AWAS BUILDERS LLP


Authorized Signatory

PROJECT TITLE

**KHASRA NO. 744 TO 746, 750 TO 760
VILLAGE DHIRYAWAS
TEHSIL- TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)**

CLIENT	PURE AWAS BUILDERS LLP P-65, 3RD FLOOR, SOUTH EXTENSION, PART - II , NEW DELHI - 110049
--------	--

DRAWING TITLE	PARKING PLAN
------------------	--------------

CONCEPT	DESIGN SUBMISSION	TENDER DRAWING	FOR CONSTRUCTION	AS BUILT

				DRAWING NO. S-102
--	--	--	--	----------------------

REV	SHEET	SCALE	DATE
R0	A1	1:500	24-Jul-19

This document should not be utilised for purposes other than those for which it was originally prepared and for which Shubhashray Housing India was commissioned. Shubhashray Housing India accepts no responsibility for this document to any party other than the one by whom it was commissioned.

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राप्ति करण (बीडी)

उप नगर नियोजन
बीडा, मिवाडी

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्रा.

अनुमोदित

एकीकृत मूल विनियम 2017 के दिनांक निर्देशों के अनुसार
संशोधित संस्करण का प्रस्तावित मूल में विनियम प्रदान
रखा जाये अथवा बीदा हवा मूल निर्माण के विनियम
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

एकीकृत मूल विनियम 2017 के
दिनांक निर्देशों के अनुसार कार्यालय कल से
विनियम निर्देशों के लिए अतिरिक्त मूल
में विनियम प्रदान रखा जाये अथवा बीदा हवा मूल निर्माण
के विनियम नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

Parking Area Will be Bida Property

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारणा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रस्ताव करने से पूर्व "कमलिका" प्रस्ताव
पत्र" अथवा "प्रस्ताव" प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारों में प्रभावित होये।

विद्युत संवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

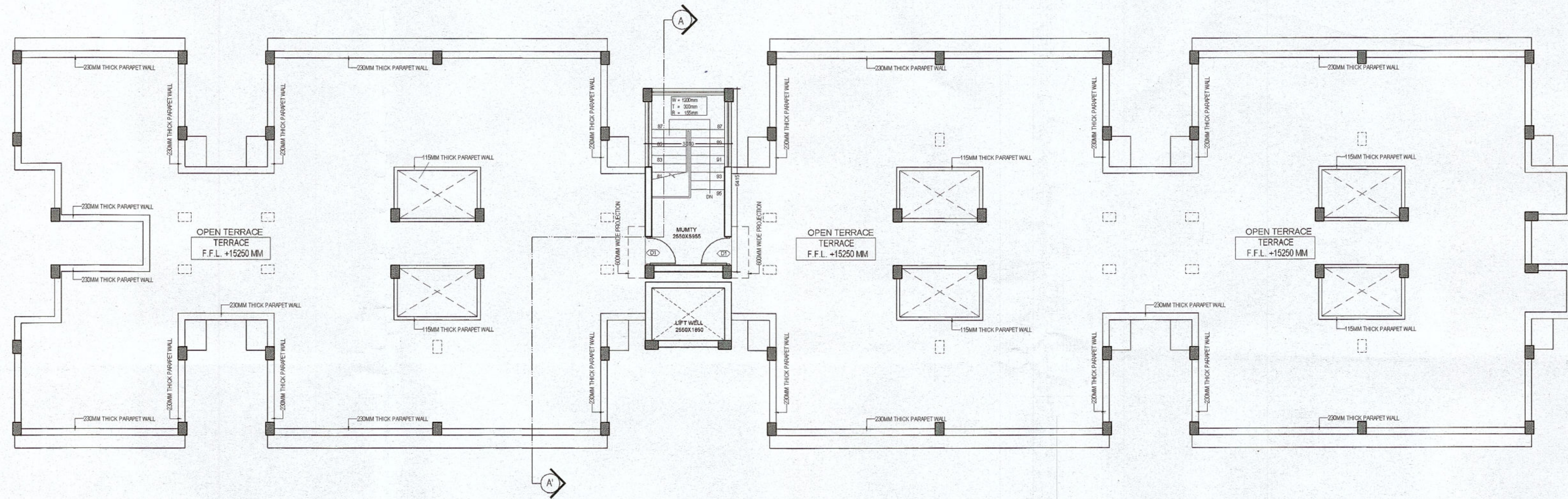
सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

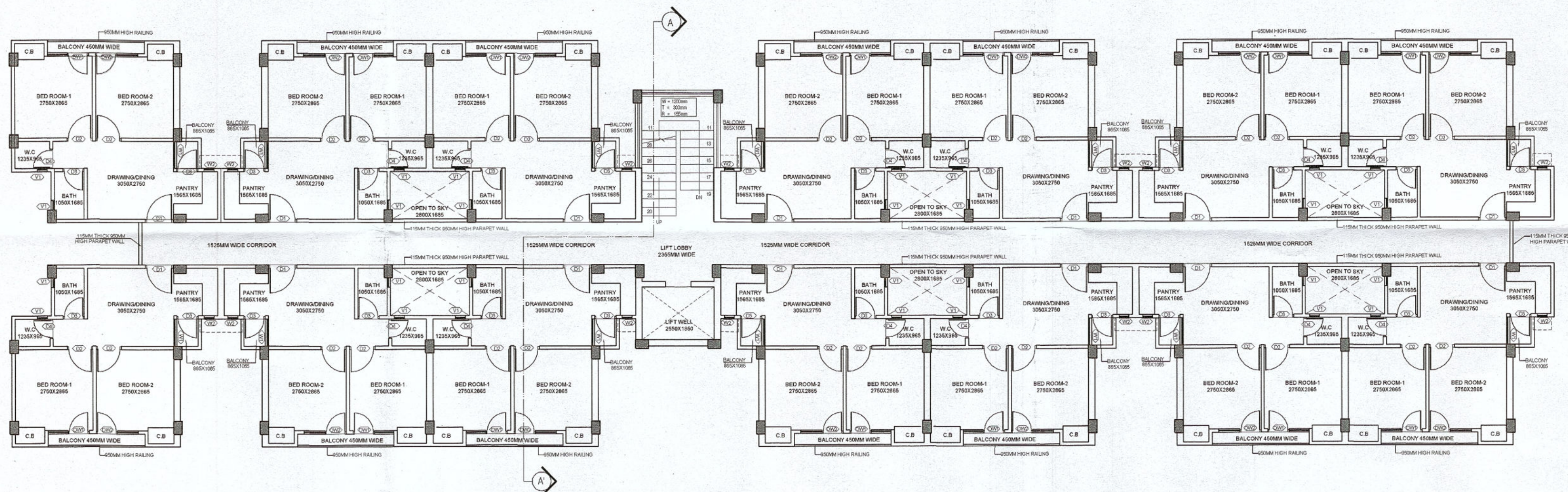
"जारी किये गये अनुमोदित मूल-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

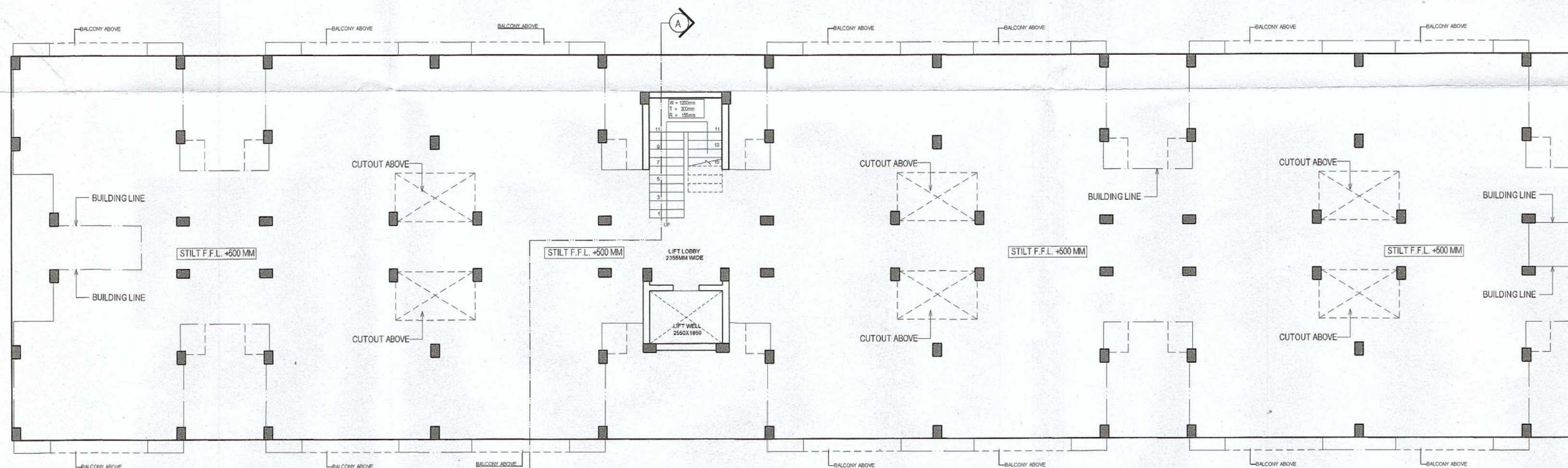
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।



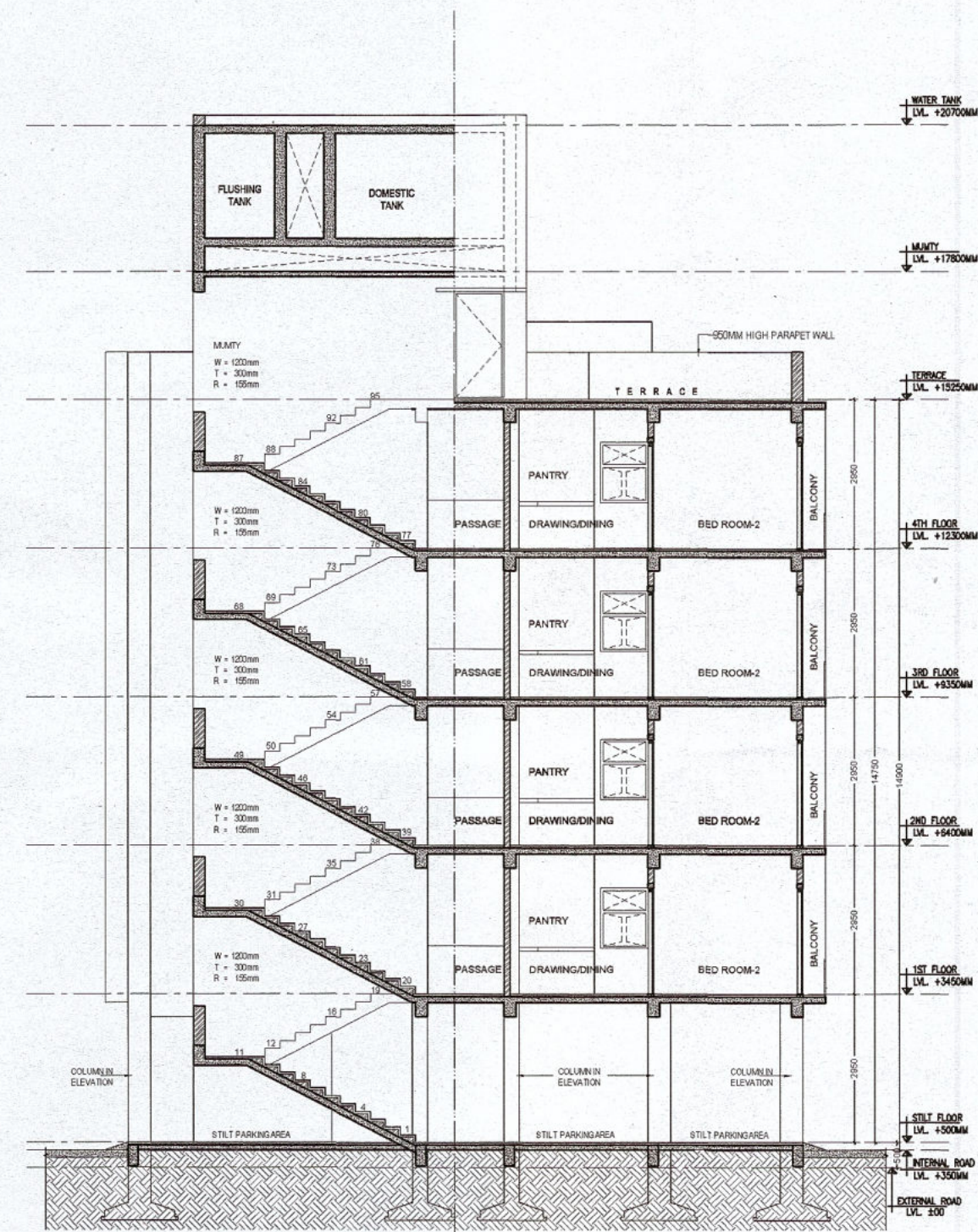
TERRACE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN



STILT PLAN



SECTION-AA'

SCHEDULE OF OPENINGS								
Type	Width	Height	Sill	Lintel Lvl.	Typ. Floor	Terrace	Nos. of Floor	Total (Nos.)
DW1	1455	2100	+00	2100	14	-	4	56
DW2	1500	2100	+00	2100	14	-	4	56
D1	1000	2100	+00	2100	14	2	4	58
D2	900	2100	+00	2100	28	-	4	112
D3	750	2100	+00	2100	28	-	4	112
D4	750	2100	+00	2100	14	-	4	56
W1	1200	1200	+900	2100	14	-	4	56
W2	1040	1050	+1050	2100	14	-	4	56
V1	350	750	+1350	2100	28	-	4	112
Total								562

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 8.5/6/2020
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 2052/20 Dt. 17/9/2020

SANDEEP YADAV
Architect
CA/2010/47213

GENERAL NOTES	
NO	DESCRIPTION
1	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2	ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING BE BROUGHT TO THE IMMEDIATE NOTICE OF THE ARCHITECTS.
3	THIS DRAWING IS A COPYRIGHT AND MUST NOT BE USED/ DISCLOSED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF ARCHITECTS.
ARCHITECTURE CONSULTANTS:-	
SANDEEP YADAV 526,5TH FLOOR TOWER-A, PARK CENTRA BPTP BUILDING, SEC-30,GURGAON-122001 E-MAIL: sandeep@shubhashray.com PH: 8802030032	
CLIENT SIGN:-	For PURE AWAS BUILDERS LLP
Authorized Signatory	
PROJECT TITLE:-	
KHASRA NO. 744 TO 746, 750 TO 760 VILLAGE DHIRYAWAS TEHSIL- TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)	
CLIENT:-	PURE AWAS BUILDERS LLP P3, 65-RD FLOOR, SOUTH EXTENTION, PART -II, NEW DELHI 110049 -
DRAWING TITLE:-	
2BHK BLOCK-H, REVISED DRAWING BLOCK-H STILT, TYPICAL FLOOR, TERRACE PLAN & SECTION	
CONCEPT	DESIGN SUBMISSION
TENDER DRAWING	FOR CONSTRUCTION
AS BUILT	
DRAWING NO. S-105	
REV	SHEET
RO	A1
SCALE	1:125
DATE	24.10.19

THIS DOCUMENT SHOULD NOT BE UTILISED FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE FOR WHICH IT WAS ORIGINALLY PREPARED AND FOR WHICH SHUBHASHRAY HOUSING INDIA WAS COMMISSIONED. SHUBHASHRAY HOUSING INDIA ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR THIS DOCUMENT TO ANY PARTY OTHER THAN THE ONE BY WHOM IT WAS COMMISSIONED.

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्र.

उप नगर नियोजक
बीडा, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्र.

अनुमोदित

एकीकृत भवन विनियम 2017 के द्वारा निर्देश के अनुसार
संशोधित संस्करण का प्रस्तावित भवन में विनियम प्रमाणित
रखा जाये अन्यथा बीडा द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
निषेधनानुसार कार्यवाही की जायेगी

एकीकृत भवन विनियम 2017 के
द्वारा निर्देश के अनुसार शारीरिक रूप से
असमर्थ व्यक्ति के लिए प्रस्तावित भवन
में विशेष व्यवस्था रखा जाये अन्यथा बीडा द्वारा भवन निर्माण
के विरुद्ध निषेधनानुसार कार्यवाही की जायेगी

Parking Area Will be Bida Property

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार को पंजीकृत दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

इस भवनचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाषा प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वातंत्र्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत संवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

Applicants Should get the
construction checkup at plinth
level before proceeding for
further construction,

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जाते किये गये अनुमोदित भवन-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

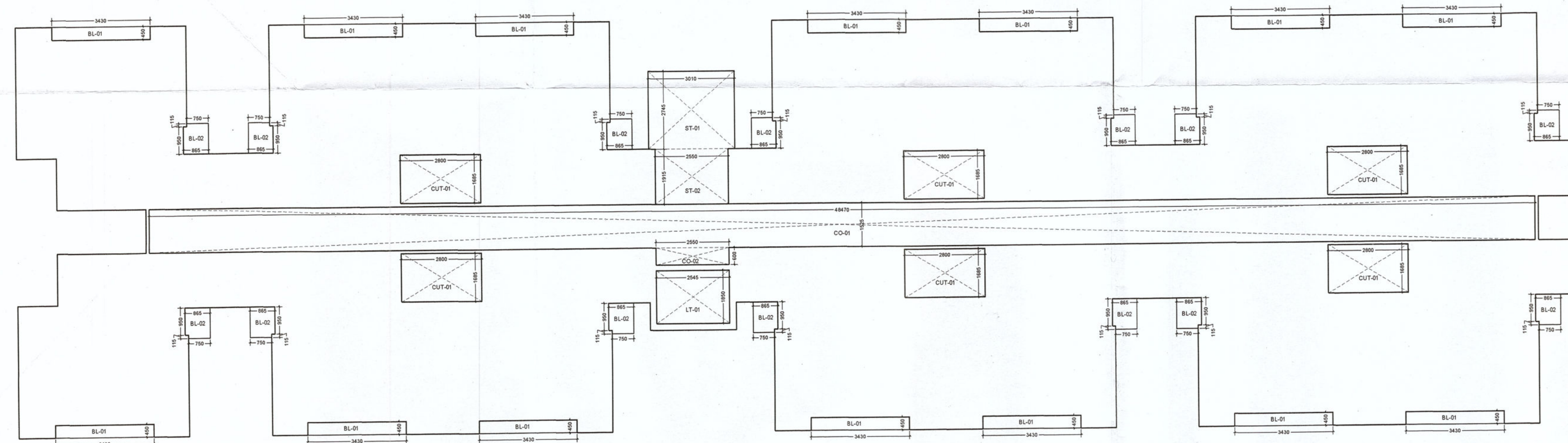
THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

REAR SIDE ELEVATION



FRONT SIDE ELEVATION



BLOCK-H, AREA CALCULATION
Scale: 1:115

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 25/6/2020
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 2054/2020 Dt. 17/9/2020

सहायक नगर नियोजक
मि. इ. वि. प्रा.

उप नगर नियोजक
बीडा, मिसाडी

विकास नगर नियोजक
मि. इ. वि. प्रा.
विकास नगर नियोजक
मि. इ. वि. प्रा.

Tapukara Submission							
2BHK BLOCK-H, Area Calculation (S+4) (REVISED SUBMISSION)							
S.No.	Mark	Length	Width	Nos. of	Area	Nos. of	Area
				Unit	(sqm.)	Block	(sqm)
A	BLOCK AREA (Without Balcony)	LS	LS		641.61	1	641.61
B	Cut-out						
	CUT-01	2.800	1.685	6	28.31	1	28.31
C	Lift/Staircase/Lobby						
	LT-1	2.545	1.850	1	4.708		
	ST-1	3.010	2.745	1	8.262		
	ST-2	2.550	1.915	1	4.883		
					17.85	1	17.85
D	Corridor						
	CO-01	48.470	1.525	1	73.917		
	CO-02	2.550	0.600	1	1.530		
					75.45	1	75.45
E	Balcony						
	BAL-01	3.430	0.450	14	21.609		
	BAL-02	0.750	0.115	14	1.208		
		0.865	0.950	14	11.505		
					34.32	1	34.32
E-1	Mumty						
	Mumty	3.010	6.415	1	19.31	1	19.31
F	Built-up Area per floor = (A+E) - B						647.62
G	Total B.A.R. Area = F x 4 Floor						2590.49
H	Total Block Built-up Area = F x 5 Floor						3238.12
I	Ground Coverage = A-B						613.30

GENERAL NOTES	
NO	DESCRIPTION
1	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2	ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING BE BROUGHT TO THE IMMEDIATE NOTICE OF THE ARCHITECTS.
3	THIS DRAWING IS A COPYRIGHT AND MUST NOT BE USED, DISCLOSED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF ARCHITECTS.
ARCHITECTURE CONSULTANTS:	
SANDEEP YADAV 526, 5TH FLOOR TOWER-A, PARK CENTRA BPTP BUILDING, SEC-30, GURGAON-122001 E-MAIL: sandeep@shubhashray.com PH: 8802030032	
CLIENT SIGN:	For PURE AWAS BUILDERS LLP <i>[Signature]</i> Authorized Signatory
PROJECT TITLE:	KHASRA NO. 744 TO 746, 750 TO 760 VILLAGE DHIRYAWAS TEHSIL- TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)
CLIENT:	PURE AWAS BUILDERS LLP P3, 65-RD FLOOR, SOUTH EXTENSION, PART -II, NEW DELHI 110049 -
DRAWING TITLE:	2BHK BLOCK-H, REVISED DRAWING BLOCK-H FRONT & REAR SIDE ELEVATION & AREA DETAIL
CONCEPT	DESIGN SUBMISSION
TENDER DRAWING	FOR CONSTRUCTION
AS BUILT	
DRAWING NO.	S-106
REV	SHEET
R0	A1
SCALE	DATE
1:125	24-Jul-19
THIS DOCUMENT SHOULD NOT BE UTILISED FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE FOR WHICH IT WAS ORIGINALLY PREPARED AND FOR WHICH SHUBHASHRAY HOUSING INDIA WAS COMMISSIONED. SHUBHASHRAY HOUSING INDIA ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR THIS DOCUMENT TO ANY PARTY OTHER THAN THE ONE BY WHOM IT WAS COMMISSIONED.	

SANDEEP YADAV
Architect
CA/2010/47213